26/10/23 - वकील प्रार्थी हाजिर। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी को 1 दिन। और शायद है। अप्रार्थीगण आज तक उपस्थित नहीं हुए हैं। आज पुनः आवाज दी गई बावजूद आवाज गैरहाजिर। अतः अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया। समस्त विवेचन से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थिनी के पक्ष में प्रतीत होता है, अतः प्रार्थिनी की प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अग्रिम आदेश तक 04-08-2023

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम को इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/5/25 अनुक्रमांक 5 रामदेवर पर निर्धारित	
की जाती आधारित अधिवक्ता को लाभकारी वाद के पुस्तक किया जाता है। पत्रावली क्रमांक अनुसार होकर बाद आगे कार्यवाही के नंबर के क्रम होकर शामिल रफा है।	

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर